UPGK010053562026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
सेशन केस संख्या– 1252/2026

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम आर्थक प्रताप सिंह वगैरह
अपराध संख्या- 32/2026,
धारा- 191, 191(3), 115(2), 352, 351(3),
109(1), 333, 61(2) भारतीय न्याय संहिता व
3/25 आर्म्स एक्ट
थाना- कोतवाली, जनपद- गोरखपुर।

06.08.2026

1. सत्र परीक्षण की पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। पूर्व नियत तिथि पर प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–6ख अंतर्गत धारा–250 भा०ना०सु०सं० पर उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक एवं आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना जा चुका है।

2. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6ख के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अपराध संख्या- 32/2026, धारा- 191, 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 333, 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली, जनपद- गोरखपुर के प्रकरण में उसे धारा– 109(1) भारतीय न्याय संहिता के आरोप से उन्मोचित किया जावे।

3. प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6ख में आवेदक/अभियुक्त के द्वारा यह कथन किया गया है कि "किसी को भी प्राण घातक चोटें नहीं हैं इस कारण 109 (1) BNS का अपराध नहीं बनता है। वादी मुकदमा द्वारा अपने प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह कहा गया कि आर्थक प्रताप सिंह, महेश चौधरी अवनीश शुक्ला सैफ अली सक्षम शुक्ला ने अपने हाथ में लिये बन्दूक से जान से मारने की नियत से कई राउण्ड फायर किये तथा हवा में फायर करते हुये चले गये परन्तु घटना स्थल से किसी भी कारतूस के खोखे का बरामद न होना यह साबित करता है कि घटना संदिग्ध है और मात्र घटना को संसनीय खेज बनाने के लिये फर्जी रूप से दर्ज कराया गया है। विवेचक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित व गवाह के बयान मे नामित सक्षम शुक्ला को किस आधार पर उक्त मुकदमे से बाहर निकाला गया है। इसका कोई स्पष्ट कारण अपने आरोप पत्र में और विवेचना में नहीं बताया गया है मात्र वादी मुकदमा के कहे अनुसार अपनी विवेचना को आगे बढ़ाया है। उक्त घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से सिद्ध होता है कि प्रार्थी के ऊपर 109(1) BNS की धारा का अपराध नहीं बनता है। इस लिये प्रार्थी को 109 (1) BNS की अपराध से उन्मोचित किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।" इस प्रकार प्रार्थना-पत्र में

वर्णित कथनों के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को उक्त आरोप से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

4. उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6ख में उल्लिखित तथ्यों का घोर विरोध किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में सक्रिय भागिता एवम् भूमिका पाते हुए उनके विरूद्ध उचित आरोप–पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रेषित किया गया है। विवेचक के समक्ष दिये गये कथन में साक्षीगण के द्वारा कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की संलिप्तता के बिन्दु पर स्पष्ट कथन किया गया है। उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–6ख आधारहीन एवम् बलहीन होना बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि दिनांक 20.02.2026 को, अन्तर्गत थाना–कोतवाली, जनपद– गोरखपुर में घटित घटना की प्राथमिकी, जिसमें अभियुक्तगण आर्थक प्रताप सिंह, महेश चौधरी, अनीश शुक्ला, सैफ अली, सक्षम शुक्ता व दो–तीन अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मिलकर सामान्य आशय की पूर्ति में प्रथम सूचनाकर्ती संध्या यादव के घर पर पहुँचकर वादिनी को गाली–गुप्ता देते हुए उसे कई थप्पड़ मारने व पुनः घर में घुसकर हाथ में लिए बन्दूक से वादिनी को जान से मारने की नियत से कई राउण्ड फायर कारित किया गया व जान से मारने की धमकी दिए जाने का कथन किया गया।

7. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादिनी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 21.02.2026 को समय 03.36 बजे, अभियुक्तगण आर्थक प्रताप सिंह, महेश चौधरी, अनीश शुक्ला, सैफ अली, सक्षम शुक्ता व दो–तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अपराध संख्या- 32/2026, धारा- 191(2), 191(3), 109(1), 115(2), 352, 333, 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- कोतवाली, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत पंजीकृत की गयी। विवेचक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना की गई, दौरान विवेचना विवेचक द्वारा वादी मुकदमा व मजरूब का बयान अंकित किया गया, घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया, समयी साक्षीगण का बयान अंकित किया गया एवं विवेचना की सभी औपचरिकताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त आर्थक प्रताप सिंह के विरूद्ध धारा- 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 333, 61(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत व अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध अलग–अलग धाराओं में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विवेचना के दौरान संकलित किए गए साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त आर्थक प्रताप सिंह व अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला

पाते हुए दिनांक 20.04.2026 को संज्ञान लिया गया है। स्वीकार्य रूप से आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध लिए गए संज्ञान आदेश दिनांकित 20.04.2026 के संदर्भ में धारा– 109(1) भा०न्या०सं० से उन्मोचित किए जाने का कहीं कोई आवेदन/चुनौती नहीं दी गई।

8. विवेचक द्वारा केस डायरी के पर्चा नं०–2 में वादिनी मुकदमा श्रीमती संध्या यादव पत्नी अम्बुजेश्वर नाथ यादव का बयान अन्तर्गत धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अंकित किया गया जिसमें उन्होंने कथन किया कि– दिनांक 20.02.2026 को रात करीब 11.00 बजे का समय रहा होगा। आर्थक प्रताप सिंह पुत्र आदित्य प्रताप सिंह निवासी म0नं0 172 बरही कोठी मोहल्ला जगन्नाथपुर थाना कोतवाली जिला गोरखपुर जिसका स्थायी पता ग्राम बरही थाना झंगहा जिला गोरखपुर व इसके साथ महेश चौधरी पुत्र अज्ञात निवासी जगन्नाथपुर थाना कोतवाली जिला गोरखपुर, अनीश शुक्ला पुत्र स्व० अभय कुमार शुक्ला निवासी 384/डी ब्लाक सूर्य विहार कालोनी सूरजकुण्ड थाना तिवारीपुर जनपद गोरखपुर निकट सूर्य बिहार पुलिस चौकी व सैफ अली पुत्र अज्ञात निवासी हुमायपुर चौक थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर, सक्षम शुक्ला पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात व इसके तीन–चार अज्ञात लोग जो फारचूनर गाडी संख्या UP53 BP0777 से मेरे घर पर आए और आते ही मेरे दरवाजे पर जोर जोर से चिल्लाकर मेरे बेटे उज्जवल का नाम लेकर चिल्लाने लगे इन सभी के हाथ में पिस्टल थी और मेरे व मेरे पति अम्बुजेश्वर नाथ यादव को और मुझे धक्का मुक्की देते हुए कई राउड पिस्टल से फायर किये। मै तथा मेरा पति किसी तरह से बचे जिसमें एक फायर हमारे जिने (सीढी) के नीचे भी लगा जिसे मैने आपको दिखाया। इन लोगों ने जान से मारने की नियत से कई राउड फायर हम लोगों पर की, पर हम ईश्वर की कृपा से हर बार बचे और मेरे बेटे उज्जवल का नाम लेकर कई बार कहा की आज मैं उज्जवल की हत्या करने आया हूँ उसे बाहर निकालो। मैं और मेरा पति दोनो किसी तरह घर के अंदर घुसे तो दूर खड़ी सफेद रंग की फारचूनर गाडी संख्या UP53BP0777 का ड्राईवर जिसका नाम भी मार पीट करने के लिए इनके साथ निचे उतर आया और उसने भी हम लोगों को कई थप्पड़ लात–घुसे मारे तो आर्थक ने उसका नाम लेकर कहा विपिन सिंह तुम गाड़ी सीट पर जाकर बैठो यहाँ से भागने के लिए गाड़ी तैयार रखो तो विपिन सिंह नाम का यह लड़का भी फार्चुनर गाड़ी पर जाकर बैठ गया। आर्थक प्रताप सिंह, अनिस कुमार शुक्ल और महेश चौधरी अपने हाथो में तमंचे लिए और इनके साथ सैफ अली, सक्षम शुक्ला और दो तीन अन्य लड़के जब मैं और मेरे पति अपने जान बचाने के लिए घर के अन्दर भागे तो ये सभी मेरे घर के अन्दर घुसकर भी मार पीट किये। ऊपर मेरी बेटी अनुष्का उम्र 26 वर्ष भी घर पर मौजूद थी। उसने अपने मोबाईल से 112 नम्बर पुलिस को भी सूचना दी और मैं और मेरे पति किसी तरह जिने के उपर जाकर चिखने चिल्लाने लगे तो आस पास के लोगों ने हल्ला सुनकर जब शोर मचाया तो आर्थक प्रताप सिंह, महेश चौधरी, अनीश शुक्ला, सैफ अली, सक्षम शुक्ला और कई इनके साथी अपने हाथों में लिए असलहों (बन्दुक) से फायरिंग करते हुए देख लेने व जान से मारने की धमकी देते हुए माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली देते हुए मेरा मुह पकड़कर कई थप्पड़ मारे और हमें जान से मारने की धमकी देते हुए

आस पास के लोगो के इकट्ठा होते देख वहाँ से भाग गये। कुछ समय बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गयी। और पुलिस ने पूरी जानकारी ली और मैने इस घटना की लिखित तहरीर थाना कोतवाली पर देकर घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करवाई।

8.1 विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा अन्य समयी साक्षीगण अम्बुजेश्वर नाथ यादव पुत्र स्व० शिवनाथ यादव व कुमारी अनुष्का यादव पुत्री अम्बुजेश्वर नाथ यादव के भी बयान अंकित किए गए जिसमें उन्होंने उक्त कथित घटना के संबंध में आवेदक/अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्तगण की संलिप्तता के बारे में कथन करते हुए वादिनी मुकदमा के उक्त बयान का समर्थन किया।

9. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं मौखिक तर्क में विरोधाभास एवं अन्य तथ्य के बाबत जो उन्मोचन का आधार बताया गया है वह आधार/तर्क विचारण के दौरान निर्णय के स्तर पर देखा जाना है। आरोप के स्तर तक मात्र प्रथम दृष्टया ही मामला देखा जाना होता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध पत्रावली पर प्रथम दृष्टया मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है।

10. यहाॅ यह भी उल्लिखित किया जाना समीचीन है कि इस प्रक्रम पर मामले में साक्ष्य की विवेचना गुण–दोष के आधार पर की जानी अपेक्षित नहीं है। अपितु अभियोजन द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर यह समाधान किया जाना है कि मामले में अग्रिम कार्यवाही के लिए आधार पर्याप्त है या नहीं। जैसाकि उपरोक्त उद्धरित अभियोजन कथानक एवम् केस डायरी में उपलब्ध साक्ष्य से यह परिलक्षित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा- 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 333, 61(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप लगाये जाने हेतु प्रथम दृष्टया सामग्री उपलब्ध है। अतएव, आवेदक/अभियुक्त को कथित अपराध की धारा- धारा- 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 333, 61(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट से इस स्तर पर उन्मोचित किये जाने का कोई ठोस एवम् न्यायोचित आधार विद्यमान नहीं है।

11. आरोप विरचित किये जाने के संदर्भ में **माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ ने अपने न्यायिक दृष्टान्त सुप्रीन्टेंडेन्ट एण्ड रिमेंम्ब्रेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स, वेस्ट बंगाल विरूद्ध अनिल कुमार भुन्जा ए०आई०आर० 1980 सु० को० 52 (एफ०बी०)** में यह अवधारित किया है कि– "At this stage, as was pointed out by this Court in State of Bihar v. Ramesh Singh' AIR 1977 SC 2018, the truth veracity and effect of the evidence which the prosecutor proposes to adduce are not to be meticulously judged. The standard of test, proof and judgment which is to be applied finally before finding the accused guilty or otherwise is not exactly to be applied at the stage of Section 227 or 228 of the Code of Criminal Procedure, 1973. At this stage, even a very strong suspicion founded upon materials before the Magistrate, which leads him to form a presumptive opinion as to the

existence of the factual ingredients constituting the offense alleged may justify the framing of charge against the accused in respect of the commission of that offence.”

उक्त न्यायिक दृष्टान्त के अनुसार आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर साक्ष्य की सत्यता तथा प्रकरण की सूक्ष्मता से विवेचना करने की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रम पर यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध किये जाने के सन्दर्भ में सन्देह भी उत्पन्न होता है तब भी अभियुक्त के विरूद्ध आरोप की विरचना की जा सकती है।

12. **माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त स्टेट ऑफ एम०पी० विरूद्ध एस०बी० जौहरी (ए०आई०आर० 2000 सु० को० 665)** में यह अवधारित किया गया है कि– “It is settled law that at the stage of framing the charge, the court has to prima facie consider whether there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Court is not required to appreciate the evidence and arrive at the conclusion that the materials produced are sufficient or not for convicting the accused. If the Court is satisfied that a prima facie case is made out for proceeding further then a charge has to be framed.”

13. इसी प्रकार **दाण्डिक अपील संख्या–1578/2008 संघी ब्रदर्श (इंदौर) प्रा0लि0 बनाम संजय चौधरी व अन्य निर्णीत दिनांकित 03.10.2008** के अपने सम्मानित निर्णय के पैरा–11 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उल्लिखित किया है कि– "The present case is not one where the High Court ought to have interfered with the order of framing the charge. As rightly submitted by learned counsel for the appellant, even if there is a strong suspicion about the commission of offence and the involvement of the accused, it is sufficient for the court to frame a charge. At that stage, there is no necessity of formulating the opinion about the prospect of conviction. That being so, the impugned order of the High Court cannot be sustained and is set aside. The appeal is allowed."

14. विधि व्यवस्था **महाराष्ट्र राज्य बनाम सोमनाथ थापा 1996 क्रिमिनल लॉ जनरल 2448 (सुप्रीम कोर्ट)** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि यह उपधारणा करने के लिये आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है, तो न्यायालय न्यायोचित रूप से तो यह कह सकती है कि प्रथम दृष्टया उसके विरूद्ध मामला बनता है अर्थात यदि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अपराध कारित किये जाने की सम्भावना बनती है, तो आरोप तैयार करने का मामला बनता है। दूसरे शब्दों में यदि न्यायालय यह समझती है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया होगा, तो वह आरोप तैयार कर सकता है, किन्तु दोषसिद्ध करने के लिये यह निष्कर्ष आवश्यक है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया। यह स्पष्ट है कि आरोप विरचित किये जाने के प्रक्रम पर अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सम्भाव्यतापरक मूल्यांकन होना चाहिए। अभियोजन द्वारा अभिलेख पर लाई गयी सामग्री को उस प्रक्रम पर सत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। विधि का यह सुस्थापित एवं मान्य सिद्धान्त है कि आरोप गम्भीर सन्देह के आधार पर भी विरचित किया जा सकता है। विधि व्यवस्था **हीरा लाल तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य 2017 (2) जू0क्रि0के0 1522** के अपने

सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप बनाते समय न्यायालय को यह देखना आवश्यक नहीं है कि क्या उपलब्ध साक्ष्य दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है। इस स्तर पर यही देखा जाना पर्याप्त है, कि जिससे यह अन्देशा निकले कि क्या अभियुक्त ने तथाकथित अपराध कारित किया है या नहीं? इसी प्रकार विधि व्यवस्था **राजपाल व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2017 (2) जे0क्रि0के0 1797** के अपने सम्मानित निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कहा है कि आरोप निर्मित करते समय केवल अभिलेख पर उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को अंकलित किया जाना चाहिए भले ही प्रबल सन्देह दृष्टिगत होता है फिर भी इस स्तर पर आरोप मुक्ति के लिये अपर्याप्त है।

15. पलविन्दर सिंह प्रति बलविन्दर सिंह 2009 (65) ए.सी.सी. 399 (सुप्रीम कोर्ट) तथा स्टेट एन.सी.टी. ऑफ दिल्ली प्रति शिव चरन बंसल (2020) 2 एस.सी.सी 290 के मामलों में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि– "Charge can be framed also on the basis of strong suspicion. Marshalling and Appreciation of evidence is not in the domain of the court at that point of time."

16. अतएव, सम्पूर्ण तथ्यों एवम् परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को कथित अपराध से संबंधित धारा- 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 109(1), 333, 61(2) भारतीय न्याय संहिता व 3/25 आर्म्स एक्ट में से धारा–109(1) भा०न्या०सं० से उन्मोचित किये जाने का कोई औचित्य विद्यमान नहीं है।

17. निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त आर्थक प्रताप सिंह की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या–6ख निरस्त किये जाने योग्य है। **यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र के निस्तारण में जो भी संप्रेक्षण दिये गये है वे मात्र इस प्रार्थना पत्र तक ही सीमित होगें। इनका कोई प्रभाव मामले के गुण–दोष पर नहीं पड़ेगा।**

आदेश

18. आवेदक/अभियुक्त आर्थक प्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना–पत्र कागज संख्या– 6ख निरस्त किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त आरोप की विरचना हेतु दिनांक 11.08.2026 को अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ पेश हो। आवेदक/अभियुक्त नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

दिनांक/गोरखपुर
06 अगस्त, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.08.06 16:31:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court